

01.04.2025:-पत्रावली आज वादी विनोद जरिय अधिवक्ता श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस मे राजीनाम हो गया। इसलिए वादीगण अपने वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते। वादी इसी स्तर पर अपना वाद खारिज करवाना चाहते है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर वादी वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

Shan
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

